

प. सं. 160/2011 अनवत: रूपी | नन्द राम

58/25

~~पत्रावली का इत वकील वादी। वादी
उपरिष्ठत नहीं पुनः वकील वादी/वादी
का बार बार आवेज करावई गई
बिना वादी या वादी का एग्रीडर
उपरिष्ठत नहीं वाद वादी अदम यूवी
अदम हाजरी में श्वास्त्र किया
छाता है पत्रावली दाखल पफतर डी~~

Zahur,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

